(121)

॥1॥

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा/2017/1873

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रं.   /2016—17 निगरानी

श्री एम० पी० भटनागर अभि०
द्वारा आज दि० 23-6-17
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुंशीसिंह पुत्र सरदारसिंह आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम पारोली तहसील व जिला मुरैना हाल निवासी मधुवन वाटिका के पास, बानमोर तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.)

..........................आवेदक

बनाम

1— पुलन्दरसिंह गुर्जर पुत्र श्री हरीसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी आदर्श नगर, पिंटो पार्क, ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर (म. प्र.)

2— अध्यक्ष नगर परिषद बानमोर उपतहसील बानमोर तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.)

3— मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बामौर उपतहसील बानमेार तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.)

........अनावेदकगण

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 16/06/2017</u>

<u>न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला मुरैना (म0 प्र0)</u>

<u>प्रकरण क्र. 114/2016-17 अपील अंतर्गत धारा</u>

<u>331 म0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961</u>

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1- यह कि नगर परिषद बानमोर जिला मुरैना द्वारा विधिवत् विज्ञप्ति दिनांक 09/05/17 बैलगाड़ी, नौकाऐं एंव पशुओं पर कर वसूली हेतु जारी की गई।

2- यह कि आवेदक तथा अन्य लोगो में निविदा आवेदन पत्र दिये जिसमें आवेदक की निविदा स्वीकार की गई और आवेदक की निविदा स्वीकार हो जाने के उपरांत अनुबंध पत्र आवेदक तथा नगर परिषद बानमोर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मध्य विधिवत् सम्पादित हुआ।

3- यह कि आवेदक को उक्त ठेका स्वीकृति राशि 47,77,777/- रूपये में दिया गया। आवेदक ने 25 प्रतिशत्त राशि 11,94,445/- रूपये दिनांक 26/05/17 को जमा कराये।

4- यह कि आवेदक ने ठेका प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 05/06/17 को 9,55,555/- रूपये जमा कराये। ठेका की शेष प्रीमियम राशि 26,27,777/- रूपये सात समान मासिक किश्तो में निम्नानुसार तिथियों पर जमा करने हेतु स्वीकार किया गया।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1873

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
28.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर द्वारा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 114/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.6.17 के विरूद्व अंतर्गत धारा 331 म0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2–अनावेदक पुलन्दर सिंह गुर्जर द्वारा द्वारा न्रिगरानी के प्रति प्राप्त की तथा उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। 3– उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया । अध्ययन कर पाया गया कि इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आने के कारण चलने योग्य नहीं है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। 4– अतः निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 114/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.6.17 प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह किया जाता है। सदस्य	